

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:एफ.3(13)मत्स्य/विकास/2017-18/18438

जयपुर, दिनांक: 10/11/18

परिपत्र

राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 4 (2) के अंतर्गत स्पोर्ट फिशरीज हेतु शोकिया मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों को ऐंग्लिंग (Angling) लाईसेंस दिये जाने का प्रावधान है। स्पोर्ट फिशरीज के अंतर्गत ऐंग्लिंग में पकड़ी गई मछली को वापस जीवित अवस्था में जलाशय में छोड़ना चाहिये परन्तु यह ध्यान में आया है कि उक्त शोकिया मछली पकड़ने वाले व्यक्ति पकड़ी गई मछली को मारकर ले जाते हैं।

अतः इस परिपत्र के द्वारा मत्स्य विभाग को निर्देशित किया जाता है कि ऐंग्लिंग अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐंग्लिंग में पकड़ी गई मछलियों को वापस जीवित अवस्था में उसी जलाशय में छोड़वाना सुनिश्चित करें।

६२.

(सुरेश दुर्गानी)

शासन उप सचिव

क्रमांक:एफ.3(13)मत्स्य/विकास/2017-18/18439-54² दिनांक: 10-1-18
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. विशिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
8. प्रमुख प्रधान वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
9. आयुक्त, मत्स्य विभाग, राज0 जयपुर।
10. आयुक्त जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक मत्स्य, जयपुर/उदयपुर।
13. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी राज0 को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

६२.

शासन उप सचिव

1. Title, extent and commencement. (a) These rules may be called Rajasthan Fisheries Rules, 1958 .

(b) They shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajapatra. Gazette and shall be apply to all the waters in Rajasthan except ² (xxx) private waters ³(xxx)

2. Definitions:- In these rules the "Act" means the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (No. XVI of 1953).

3. Issue of licence :- Licenses under the Act shall granted by the Fishery Officer in one of the forms annexed to these rules.

4. Fees :- Fees for licence under the Act shall be as follows:-

(1) Seasonal Fishery Licence (Form No. 1) ⁴(xxx)

(2) Angling licence (form No. 2 Rod and line and Head line):-

(a) For a year Rs. 300/-

(b) For a period of one month Rs. 50/-

(c) For one day Rs. 10/-

(3) In case of Licenses by ⁶(auction/tender) (Form No.3) the fees shall be the amount at which the highest ⁷(bid/ tender) has been accepted:

Provided that the Government may by notification in the official Gazette from time to time alter these fees.

⁸5. (1) **Procedure by inviting tender/ auction:** -(a) By 15th March of each year, a list of water in following categories on the basis of average revenue during the last three years shall be prepared by the Director of Fisheries.

Categ"A" Water fetching revenue of Rs. 5.00 lac⁹ and above per annum.

-
1. Subs. By No.1 [6.11.58]
 2. Omitted by No. 3 [26.8.81]
 - 4 Deleted By No. 5 & 6 dated 20.9.1990 & 19.6.1991.
 - 5 Subs. by 11 [27.08.02]
 - 6 Subs. by. No.3 [26.8.81]
 - 7 Subs. by. No.3 [26.8.81]
 - 8 Subs. by No. 5 & 6 dated 20.9.1990 & 19.6.1991]
 - 9 Subs. by No.8 dated 20.3.97